

क्रि०मि०केश नं०- .../४९... /2017

5(1/2021)

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलाकनापरान्त स्पष्ट होता है कि वर्तमान वाद की वैधानिक अवधि बीत चुकी है। उभय पक्ष की आर-आ-या संबंधित थाना प्रभारी से शांति भंग होने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

उपस्थापित एवं सशोधित।

05/01/2021
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
राज्य।

05/01/2021
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
राज्य।